उत्तर-पूर्वी क्षेत्र :

असम . .	90.91
मणिपुर . .	105.04
मेघालय . .	127.78
नागालैण्ड . .	72.85
त्रिपुरा .	58.52
अरुणाचल प्रदेश .	66.67
मिजोरम . .	71.53
उप जोड़ :	89.15
जोड़ (अखिल भारत) .	281.48

नाथपा झाकरी परियोजना

2736. **श्री अजीत जोगी :**
श्री शिव प्रताप मिश्र :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाथपा झाकरी परियोजना पर कार्य शुरु हो गया है ;

(ख) क्या पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में कोई अन्तर्राज्यीय विवाद है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) सरकार ने विवाद को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ; और

(ङ) क्या राजस्थान को पानी का समुचित हिस्सा आबंटित किए जाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०बी० रंगैया नायडू) : (क) नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना (6×250= 1500 मे०वा०) एक निर्माणाधीन स्कीम है और इसे 4337.75 करोड़ रुपये की संशोधित लागत पर जून, 1993 में स्वीकृति प्रदान की गई है । परियोजन' को दिसम्बर, 1998 तक चालू किए जाने का कार्यक्रम है ।

(ख) से (ङ) नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन के लिए सतलुज नदी के जल की रन-ऑफ-रिवर विकास स्वरूप में समुपयोजन किए जाने की परिकल्पना की गई है इस में नदी जल की मौसमी भण्डारण करने की आवश्यकत नहीं है । जल बंटवारे के सम्बन्ध में कोई अन्तर्राज्यीय विवाद नहीं है ।

दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 में संशोधनों की मांग

2737. **श्री अजीत जोगी :**
श्री मूलचन्द मीणा :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 में कुछ संशोधन करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०बी० रंगैया नायडू) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत वित्त निगम द्वारा विद्युत परियोजनाओं का वित्त पोषण

2738. **श्री अजीत जोगी :**
श्री मूलचन्द मीणा :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत वित्त निगम द्वारा विद्युत परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गए हैं ;

(ख) निगम द्वारा 30 नवम्बर, 1992 तक देश में राज्यवार वित्त पोषित तथा स्वीकृत की गई विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं ; और

(ग) विद्युत वित्त निगम द्वारा परियोजनाओं को, विशेषत: मध्य प्रदेश से सम्बन्धित परियोजनाओं , कब तक धनराशि प्रदान किए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू) : (क) विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) द्वारा निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है । **(नीचे देखिए)**

(ख) विद्युत वित्त निगम द्वारा नवम्बर, 1992 तक स्वीकृति की गई राज्यवार परियोजनाओं की सूची अनुबन्ध में दी गई । [देखिए परिशिष्ट 170, अनुपत्र संख्या 61]

(ग) मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (एम०पी०ई०बी०) ने विद्युत वित्त निगम के ऋण का मुख्य रूप से लाभ उठाया है । अतिरिक्त परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाना निर्धारित पात्रता मानदण्डों की पूर्ति किए जाने की शर्तों के अधीन होगा ।

विवरण

विद्युत वित्त निगम के ऋण हेतु पात्रता सम्बन्धी शर्तें

विद्युत वित्त निगम से ऋण सम्बन्धी सहायता प्राप्त करने के लिए ऋण प्राप्त कर्ता को निम्नलिखित मुख्य पात्रता सम्बन्धी मानदण्डों की पूर्ति करनी होगी ।

1. राज्य बिजली बोर्ड के मामले में इसके द्वारा जुटाई गई निवल अचल परिसम्पत्तियों पर सामान्यत: कम से कम 3% की दर से लाभांश अर्जित किया जाना चाहिये ।

2. 1993-94 और इससे आगे की अवधि के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु पात्रता पर विचार किए जाने के लिए यह अनिवार्य होगा कि राज्य बिजली बोर्ड की तात्कालिक अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए यदि किसी प्रकार की राशि देय है तो राज्य सरकार द्वारा इस राशि का पूर्णत: भुगतान किया जाना चाहिये और जिस वित्तीय वर्ष के लिए नये ऋण की स्वीकृति से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार किया जाना है, राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्ड द्वारा विद्युत वित्त निगम की संतुष्टि के लिए आर्थिक सहायता सम्बन्धी भुगतान के बारे में अपेक्षित समयसूची प्रस्तुत कर दी जानी चाहिये ।

3. राज्य बिजली बोर्ड को विद्युत वित्त निगम की संतुष्टि हेतु प्रचालनात्मक एवं वित्तीय कार्यवाही योजना (ओएफएसी) पर हस्ताक्षर करने चाहियें जिसके जरिये यह इसके कार्यकरण में सुधार किए जाने के लिए समयबद्ध कार्यवाही सम्बन्धी कार्यक्रम हाथ में ले सके ।

4. वित्तीय वर्ष (एफ०वाई०) की समाप्ति पर राज्य बिजली बोर्ड को अनंतिम वार्षिक लेखे एक वर्ष के अन्दर और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर दो वर्ष के अन्दर परीक्षित लेखे प्रस्तुत कर देने चाहियें ।

5. ऋण स्वीकृत करने और राज्य बिजली बोर्ड को ऋण देने के लिए विद्युत वित्त निगम द्वारा पर्याप्त " उदार प्रवृत्ति (एक्सपोज़र लिमिट) का निर्धारित सीमा में प्रदर्शन किया जाना चाहिये ।

6. विद्युत वित्त निगम द्वारा ऋण प्राप्तकर्ता को वित्त में स्वीकृत किए गए ऋण के मामले में मूलधन के भुगतान तथा ब्याज के रूप में विद्युत वित्त निगम को देय राशि के भुगतान में किसी भी समय चूक नहीं करनी चाहिये ।

उपरोक्त के अलावा विद्युत वित्त निगम के ऋण हेतु परियोजना के मूल्यांकन में

सम्बन्धित परियोजना को निम्नवत् मानदण्डों की पूर्ति भी करनी चाहिये :—

(क) आर्थिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण होनी चाहिये तथा लाभांश की दर कम से कम 12% होनी चाहिये ;

(ख) तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त होनी चाहिये ;

(ग) प्रस्तावित तकनीकी समाधानों की "न्यूनतम लागत" होनी चाहिये ;

(घ) विद्यमान विस्तार योजनाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिये ;

(ङ) प्रस्तावित समाधानों को, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के पर्यावरणीय तथा प्रभावी मानक जो भी अधिक युक्ति-युक्त हों, की पूर्ति करनी चाहिये और

(च) राज्य एवं केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा अपेक्षित सभी प्रकार की स्वीकृतियां परि-योजना के लिए प्राप्त की जानी चाहियें।

टिप्पणी : उपरोक्त (1) के बारे में विद्युत निगम द्वारा निम्नवत् विशेष छूट प्रदान की गई है :—

"राज्य बिजली बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 1991–92 के दौरान जुटाई गई निवल अचल परिसम्पत्तियों पर कम से कम 2% की दर से लाभ अर्जित किया जाना चाहिये और विद्युत निगम की संतुष्टि के लिए अपने वित्तीय कार्य निष्पादन में प्रत्येक वर्ष में वर्ष 1992–93, 1993–94, 1994–95 और 1995–96 हैं) हेतु योजनागत निर्धारित सुधार सुनिश्चित करने के लिए लाभांश की बढ़ती हुई दर की प्रवृत्ति और उपरोक्त अवधि के अन्दर किसी भी मामले में 1995–96 तक की अवधि से आगे नहीं, 3% की लाभांश की दर प्राप्त करना सुनिश्चित किए जाने के लि, योजना अथवा कार्यवाही" के जरिए लिखित में आश्वासन देने के लिए तयार रहना चाहिये।"

Establishment of power plants in the Public Sector

2739. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 12 major power plants are likely to be established in the public sector by the beginning of the next year;

(b) if so, the details thereof and what is the total aomunt involved in these projects;

(c) what are the States where these projects are likely to be set up; and

(d) what is the quantity of power estimated to be generated after co-pletion of these power plants?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (d) A capacity addition programme of 4439.29 MW has been envisaged for the year 1993-94 which comprises 19 hydel, 25 thermal and one nuclear power sation. Till the end of Feb-ruary 1994, 1981. 75 MW of new ca-pacity has been commissioned. The prescribed annual target for 1993-94 is expected to be achieved by the end of March, 1994. Details of the pro-jects which have so far been com. misioned during the current financial year arc in the onelosed statement.